

तारीख  
हुकम

17/11/2021

पंचायती प्रखण्ड गांवों के संगे अभियान 2021 के तहत गांव पंच कश्मोर पर आयोजित सिविल में निस्तारण हेतु जारी गये। हमने पंचायती का अवलोकन किया। प्राचीन गांव धनेरपुरी पंच 80 कश्मोर (विधित आरजी) 43 रकबा 1.4700 हे० एवं आ. नं. 49, 50, 133, 171, 177, 178, 400/49 कील 7 रकबा 3.2500 हे० भूमि की पल्परगदी कानून चालते हैं। पंचायती में सलज नकाश जमाखरी सन्वत् 2068-2071 अनुसार उक्त आरजीगत जागीरों की जायेंदा शोतेदारी की है। अतः प्राचीन का जागीर पर अर्जित धारा 128 परसेट स्वीकार किया जाकर गांव धनेरपुरी पंच 80 कश्मोर (विधित शवात सं- 138 में वर्णित आरजी संख्या 43 रकबा 1.4700 हे० तथा शवात संख्या 118 में वर्णित आरजी संख्या 49, 50, 133, 171, 177, 178, 400/49 कील 7 रकबा 3.2500 हे० कुल कील 8 कुल रकबा 4.7200 हे० भूमि की कितनी किली के कब्जे में दखलदारी किए लेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पल्परगदी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। कमिश्नर शुल्क 15000/-00 (पंच अक्षरे एक हजार पांच सौ अक्षर प्राचीन वहन करेंगे)। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिख जावे कि पञ्चवारन को लिखित सूचना देकर निष्पत्तिका पल्परगदी की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। पंचायती केसल शुमार होकर नक्का ले काम हो।

2020  
00/110

(श्याम सुन्दर विश्वाइ)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)